L-36

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 704586

विक्रय पत्र

1:—	विक्रित भूमिधरी स्थित ग्राम	:-	सूजडू, बाहर हदूद, परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर।
3:—	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:—	0.4250 हेक्टेयर
	निर्धारित दर	:—	65,00,000/— रूपये प्रति हेक्टेयर
5:—	नापन की इकाई	:—	हेक्टेयर
6:—	प्रतिफल की धनराशि	:—	29,75,000/—रूपये
7:—	निर्धारित दर से मालियत	:—	27,62,500/—रूपये
8:—	धनराशि स्टाम्प शुल्क	:—	2,08,250/—रूपये

मौ० अहमद

9-7-12
[illegible] 2,76[illegible] 2755 [illegible]
[illegible] [illegible] II मेरठ
1002
[illegible]

Misc. 44 31-1-2016

[redacted] the stamp Act by [redacted]

2,776,000.00 (रु0 2,763,000.00)
[illegible] मालियत
[illegible] मारूफ अली
पुत्र श्री महफूज अली
व्यवसाय कृषि
निवास स्थायी सूजडू शहर मुजफ्फरनगर
[illegible] यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/1/2013 समय 12:28PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

10,000.00	20	10,020.00	800
[illegible]	[illegible]	योग	[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम माहेश्वरी(शा0मु0लि0)
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
11/1/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि [illegible] पक्ष [illegible]

श्री मारूफ अली
पुत्र श्री महफूज अली
पेशा कृषि
निवासी सूजडू शहर मुजफ्फरनगर

श्री इन्द्रजीतलाल अरोरा सा0मु0न0-30/2011
प्रतिनिधि श्री ए0टू0जेड0टी0प्रा0लि0द्वारा पंकज राणा व देवेन्द्र कुमार
पुत्र श्री चुन्नीलाल अरोरा
पेशा वकालत
निवासी 379 नुमाईश कैम्प शहर मु0नगर

श्री जमशेद अली
पुत्र श्री महफूज अली
पेशा कृषि
निवासी सूजडू शहर मुजफ्फरनगर

श्री समशाद
पुत्र श्री असमतुल्ला
पेशा कृषि
निवासी सूजडू शहर मुजफ्फरनगर

श्री फरीदुल हक फरिदुलहक
पुत्र श्री अल्लायन्दा
पेशा कृषि
निवासी सूजडू शहर मुजफ्फरनगर

प्रथम

Scanned by CamScanner

बवत इकरारनामा अदा		
स्टाम्प शुल्क	:–	2,08,250/– रूपये
आज अदा स्टाम्पशुल्क	:–	100/– रूपये
9:– सडक की स्थिति	:–	कोई नही है
10:– पेड/बोरिंग/कुंआ/ अन्य का विवरण	:–	कोई नही है

11:– विक्रेता जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है :–

माशूक अली व जमशेद अली पुत्र महफूज अली व शमशाद पुत्र असमतुल्ला व फरीदुल हक पुत्र श्री अल्लाबन्दा व मौहम्मद अहमद पुत्र श्री शमशाद अली निवासी गण ग्राम सूजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर ।

3

12:— क्रेता जिसें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है :—

ए. टू. जैड . डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कम्पनी आर. ओ. सी. कानपुर, उत्तरप्रदेश, रजिस्टर्ड आफिस के—6 पल्लवपुरम फेस 2 मेरठ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि पंकज राणा पुत्र श्री यशपाल सिंह निवासी जी0 पी0 8 गंगानगर मेरठ व देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह निवासी ग्राम जडौदा परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर जिन्हे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दि0 21—4—2010 मे बैनामा निष्पादित करने व रजिस्ट्री करने के लिये अधिकृत किया हुआ है ।

जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न लिखित है ; के पूर्ण स्वामी है । यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ

निशानी अंगूठा — निशानी अंगूठा — निशानी अंगूठा — [illegible]

मो० अहमद

4

एवम मुक्त है । प्रथम पक्ष को इस सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्ण
अधिकार प्राप्त है । अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्द्रियों व शरीर की
स्वस्थ दशा में यह विक्रय पत्र लिखकर घोषित करते है कि प्रथम पक्ष ने
सम्पत्ति उक्त लिखित समस्त अधिकारों सहित न रखने बाकी किसी भी
अधिकार के बाजार भाव के मुताबिक बिल एवज मुबलिग 29,75,000/—
कि आधे जिसके मुबलिग.14,87,500/— होते हैं बदस्त द्वितीय पक्ष बेच
दी है और बैकतई कर दी है और प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से समस्त
विक्रयमूल्य मे से अंकन 50,000/— रूपये वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा
दिनांक 23—5—2011 ई0 को नकद प्राप्त किये हुये है व बाकी द्वारा
चैक्स नम्बरी 558492 अंकन 3,25,000/— रूपये व 558493 अंकन
3,25,000/— रूपये व 558494 अंकन 9,75,000/— रूपये व 558495
अंकन 11,37,500/— रूपये व 558496 अंकन 1,62,500/— रूपये
दिनांक 27—12—2012 ई0 पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ प्राप्त

5

प्राप्त करके कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है । अब कीमत में कुछ भी
शेष नहीं रहा है । विक्रित भूमि जो कृषि भूमि है, का कब्जा मौके पर
प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मय जुमला हक व हकूक के अपने तुल्य
वक्त इकरारनामा सौंपा हुआ है और कब्जा मालकान आज प्रथमपक्ष ने
द्वितीयपक्ष को मय जुमला हक व हकूक के अपने तुल्य सौंप दिया है ।
अब प्रथम पक्ष या वाररान प्रथम पक्ष का इस बेची गई सम्पत्ति से कोई
वास्ता नही रहा हैं और न ही भविष्य में कोई वास्ता व ताल्लुक होगा ।
अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की
किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य
कारण से यह बेची गई सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे में से निकल जावे
या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले तो ऐसी हर दशा में द्वितीय
पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर
लेवे या वह अपना समस्त विक्रयमूल्य मय हर्जा खर्चा व सिदाजी [illegible]
सहित प्रथम पक्ष या वाररान प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस
प्रकार चाहे वसूल कर लेवे

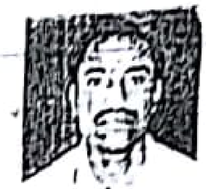

इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का इसप्रकार का उजर अमान्य होगा । विक्रित भूमि के सम्बन्ध मे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक मे एक इकरारनामा दिनांक 23–5–2011 ई0 को एक इकरारनामा जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर मे बही नम्बर 1 की जिल्द 6245 के पेज 115–164 मे क्रमांक 5962 पर दिनांक 23–5–2011 ई0 को दर्ज है, लिखा हुआ है । विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धित आज से पूर्व की तमाम देनदारियां बजिम्मा प्रथम पक्ष होगी, और आज से बाद की तमाम देनदारियां बजिम्मा द्वितीय पक्ष होगी । विक्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नही है । विक्रित सम्पत्ति आयारा विकास शुल्क के अन्तर्गत है ।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आवें ।

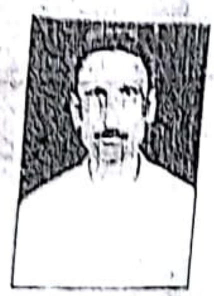

7

विवरण भूमि स्थित ग्राम सूजडू बाहर हदूद परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर :– भूमि खसरा नम्बरान 2165 रकबई 2.029 हे0 के यथोचित 1700/2029 भाग यानि भागानुसार 1.700 हेक्टेयर मे से भूमि रकबई 0.4250 हेक्टेयर ।

साक्षी साक्षी

तारीख तहरीर :– 20-7-2012

ड्राफ्टकर्ता इन्द्रजीत लाल अरोरा एडवोकेट तहसील मुजफ्फरनगर ।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 11/01/2013 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 7572

पृष्ठ सं. 135 से 150 पर क्रमांक 569

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपममाहेश्वरी(सम्पूनि0लि0)

11/1/2013

Scanned by CamScanner